

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 207/11-सी-अलीगढ़/14131/2015, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 28, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:- अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.100 के दायीं पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं०-176 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-1472/11सी-अलीगढ़/14131/2015 दिनांक 22.01.2019 एवं आपका पत्रांक-216/14-1 दिनांक 21.07.2020

महोदय,  
उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव आपके संदर्भित पत्र दिनांक 21.07.2020 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमी/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1- दण्डात्मक स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि की गणना संलग्न की गयी है, किन्तु गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नहीं की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है।

D/Man  
आ०का०करें

कार्यालय वन संरक्षक  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़  
इन्डेक्स सं० 259/14-1  
दिनांक 28/07/2020

वन संरक्षक

28/7/20

भवदीय,  
28/7

(पंकज मिश्र)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-207/11-सी अलीगढ़/14131/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
- 2- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए-5 सेक्टर-3, नोएडा।

28/7

(पंकज मिश्र)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय  
वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़  
पत्रांक 273/14-1 दिनांक 29/07/2020

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सामानिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से उचित कि उक्त आयुक्तों का निराकरण कर आरम्भ/अभिलेख 04 प्रतियों में संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अग्रप्रेषित  
29/7/20

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय वन संरक्षक  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

वन संरक्षक  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़